निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 51 **वर्ष** 2017-18

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, प्रांतीय खण्ड लोक निर्माण विभाग हरिद्वार,** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, प्रांतीय खण्ड लोक निर्माण विभाग हरिद्वार, के माह 09/2016 से 09/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अनिल कुमार शर्मा, श्री राजेश कुमार सिन्हा,सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी,एवं श्री सत्यवीर सिंह, लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 2/11/2017 से 15/11/2017 तक श्री सुधीर श्रीवास्तव लेखापरीक्षा अधिकारी के अंशकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

(ii) **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखा परीक्षा सर्व श्री अमित कुमार टण्डन एवं श्री शम्भू कुमार, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों एव श्री अंकित पांडे, लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 7/9/2016 से 21/9/2016 तक श्री वी एस पँवार, वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण मे संपादित की गई थी एवं उक्त लेखा परीक्षा में माह 04/2015 से 07/2016 तक के लेखा अभिलेखों की सामान्यतःजांच की गई थी।

(iii) (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, प्रांतीय खण्ड लोक निर्माण विभाग हरिद्वार** के अंतर्गत हरिद्वार विधान सभा क्षेत्र, ज्वालापुर विधानसभा क्षेत्र, एवं ज्वालापुर विधान सभा क्षेत्र(आंशिक) के अंतर्गत आने वाले मार्गो का निर्माण कार्य एवं अनुरक्षण का कार्य

(iv) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	**प्रारम्भिक अवशेष**			**आयोजनेत्तर**		**आयोजनागत**	
	मु.शीर्ष	**स्थापना लाख**	**गैर स्थापना लाख**	**आवंटन लाख**	**व्यय लाख**	**आवंटन लाख**	**व्यय लाख**
14-15	5054 3054 2059 2216			- 1059.92 - 9.50	- 1059.91 - 9.49	2435.58 191.50	2435.58 191.47
15-16	5054 3054 4217	-	-	394.00	394.00	2320.00 165.00. 1230.00	2260.60 165.00 1229.79
16-17	5054 3054 2059	-	-	361.28	361.28	2012.34 96.25	2012.34 96.25
17-18	5054 3054	-	-	371.47	325.63	1271.00 0.25	1131.74 0.15

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
		Nil			

(v) इकाई को बजट आवंटन केंद्र शासन एव राज्य शासन द्वारा किया जाता है। स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई "A" श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1.प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,लोक निर्माण विभाग,उत्तराखण्ड, देहरादून

1.क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता स्तर-1 ,लोक निर्माण विभाग,देहरादून

1.अधीक्षण अभियन्ता, सिविल वृत लोक निर्माण विभाग, हरिद्वार

1. अधिशासी अभियन्ता,प्रांतीय खण्ड,लोक निर्माण विभाग,हरिद्वार

(vi) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, प्रांतीय खण्ड लोक निर्माण विभाग हरिद्वार,** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, प्रांतीय खण्ड लोक निर्माण विभाग हरिद्वार,** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 05/2017 को विस्तृत जांच हेतु एवं जनपद हरिद्वार में सोलनी नदी के ऊपर 630 मीटर लम्बे प्री-स्ट्रेस्ड सेतु के निर्माण कार्य को विस्तृत विश्लेषण हेतु चयनित किया गया।

(vii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में दिनांक शून्य का निरीक्षण किया गया।

खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः माह 09/2017 तथा 09/2017. तक की गई।

फार्म 51: माह 12/2016 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत हैः-

भाग प्रथम Rs.(-)712479

भाग द्वितीय Rs.(.-)207135

खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह 10/2017 के अन्त में

(क)	प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम	7131321.27
(ख)	सामग्री क्रय	Nil
(ग)	नगद परिशोधन	Nil
(घ)	निक्षेप	136449979.00

भाग-II (अ)

प्रस्तर-1 अर्द्ध-कुंभ मेला 2016 के अंतर्गत जनपद हरिद्वार जनपद में सेतु के निर्माण के क्रम में आवश्यकता से अधिक **steel truss bridge** की अधियाप्ति के कारण व्यायाधिक्य **:- `3.84** करोड़

Paragraph 3(13) of Uttarakhand Procurement Rules 2008, provides that, in exercising these powers, the authority making purchases shall pay strict regard to the standards of financial propriety, among which are the following:-

(i) The main duty of officers making procurement is to see that the Government gets a fair return for the money to be spent,

(ii) The expenditure should not prima facie be more than the occasion demands,

(iii) Every Government servant shall exercise the same vigilance in respect of expenditure incurred form public moneys as a person of ordinary prudence would exercise in respect of the expenditure of his own money, and

(iv) No authority shall exercise its powers to pass an order, which will be directly or indirectly to its own advantage.

Further, Paragraph 179 of Financial Hand Book (volume-VI) also provides that the purchase of stores or materials far in advance or in excess of requirements is likely to result both in direct and indirect losses to the Government and should be avoided.

उत्तराखंड शासन के द्वारा अर्द्ध-कुम्भ मेला-2016 में तीन स्थानों पर सेतुओ के निर्माण के लए जनवरी 2015 में `1190.42 लाख, `144.86 लाख एवं `117.17 लाख (कुल `1452.45 लाख) की प्रशासनिक एवं वत्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिनका ववरण निम्नवत है।

कार्य का नाम	वत्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति की ववरण	
	संख्या एवं दिनांक	राशि (` लाख में)
मायापुर स्कैप चैनल एवं गंगा नदी स्थित दक्षद्वीप एवं बैरागी कैम्प को जोड़ने हेतु तथा बैरागी कैम्प से गौरीशंकर द्वीप को जोड़ने हेतु स्टील गर्डर pile सेतु (90 मीटर +90 मीटर +220 मीटर =400 मीटर स्पान) का निर्माण,	78(1) / **IV(3)** / 2015-4(28)/2014 दिनांक **08** जनवरी 2015	1190.42
मायापुर स्कैप चैनल के ऊपर वश्व कल्याण आश्रम के सामने अर्द्ध-अस्थायी स्टील गर्डर (1.50 लेन) सेतु (66.20 मीटर) का निर्माण	77/ **IV(3)** / 2015-4(29)/2014 दिनांक **08** जनवरी 2015	144.86
जगजीतपुर में मायापुर स्केप चैनल के ऊपर अर्द्ध-अस्थायी स्टील गर्डर 1.5 लेन सेतु (53.00 मीटर) का निर्माण	75/ **IV(3)** / 2015-4(31)/2014 दिनांक **08** जनवरी 2015	117.17
कुल		1452.45

प्रथम कार्य के लए मुख्य अ भयन्ता, स्तर-1, क्षेत्रीय कार्यालय, लो0नि0 व0, देहरादून के द्वारा प्रा व धकी स्वीकृति प्रदान (23.02.2015) की गयी थी जब क शेष दो कार्यो के लए अधीक्षण अ भयंता, स वल वृत, लो0नि0 व0, हरिद्वार के द्वारा प्रा व धकी स्वीकृति प्रदान (22.02.2015) की गयी थी। सभी प्रा वधकी स्वीकृति उतनी ही रा श एवं मात्रा वत्तीय स्वीकृति के अनुकूल थे। उपरोक्त तीनों कार्यो, जिसमे कुल पाँच सेतु के निर्माण कार्य का सम्पादन कया जाना था, के प्रथम बार में आमंत्रित नि वदा (26.02.2015) में दर काफी अ धक होने के कारण नि वदा दोबारा आमंत्रित की गयी थी। द् वतीय बार आमंत्रित नि वदा (7.04.2015) में दो नि वदा प्राप्त हुई थी जिसके टेक्निकल बीड में मैसर्स हिलवेज कन्स्ट्रकशन की नि वदा सफल (07 अप्रैल 2015) हुई थी। टेक्निकल बीड में सफल मैसर्स हिलवेज कन्स्ट्रकशन की नि वदा की लागत (`1544.54 लाख) जो वभागीय दरो की लागत `1402.04 लाख से `142.50 लाख अ धक थी। नि वदा स्वीकृति के उद्देश्य से मेला अ धकारी, अर्द्धकुम्भ मेला-2016 एवं डीआईजी, अर्द्धकुम्भ मेला-2016, हरिद्वार द्वारा वभागीय अ धकारी के साथ अस्थायी सेतुओ के संबंध में दिनांक 30 मार्च 2015 को आहूत बैठक में निर्णय लया गया क अर्द्धकुम्भ मेला-2016 के अन्तर्गत यातायात प्रबन्धन की दृष्टि से अति आवश्यक अस्थायी सेतुओ का ही निर्माण कराया जाए। इस आलोक में अति आवश्यक शीघ्र नि र्मत कए जाने वाले सेतुओ, जिसका ववरण ऊपर सारणी में है, के निर्माण हेतु मात्राओ की पुनः गणना करने के पश्चात नि वदित लागत `883.11 लाख आती थी जो क संसो धत मात्राओ पर वभागीय दरो के अनुसार लागत `801.44 लाख से `81.66 लाख अ धक थी। इस अंतर को कम करने के उद्देश्य से *औ चत्यपूर्ण लागत `933.99[1] लाख तैयार की गयी थी जो क नि वदित लागत से `50.88 लाख यथा 5.45 प्रतिशत कम थी और नि वदा* औ चत्यपूर्ण लागत से 5.45 प्रतिशत कम पर **Revised Schedule-B** के आधार पर मैसर्स हिलवेज कन्स्ट्रकशन, ऋ षकेश को प्रदान की गयी थी। कार्य-सम्पादन के लए उपरोक्त फर्म के साथ अधीक्षण अ भयन्ता स्तर **`883.11** लाख के अनुबन्ध (संख्या **03/SE-** स वल वृत /2015-16) का गठन (**25** मई 2015) कया गया था। अनुबंधानुसार कार्य प्रारम्भ एवं समापन की ति थ क्रमश: 25 मई 2015 एवं 24 फ़रवरी 2016 थी। वर्तमान में इस अनुबंध के लए प्रती क्षत **(pending)** अंतिम देयक के अनुसार **`1353.55** लाख की रा श का कार्य हुआ था जिसमे से 6th **Running Bill** के द्वारा **`1340.85** लाख की रा श का भुगतान हो चुका है। इस कार्य के अ भलेखों के जांच में अवलो कत हुआ क अनुबन्ध के **Revised Schedule-B** के अनुसार क्रमश: 763.50 **MT** एवं 631.10 **MT steel truss bridge** के **supply/fabrication** तथा **erection** का प्रावधान था परंतु भुगतान हेतु प्रती क्षत अन्तिम देयक के अनुसार 1276.07**MT** एवं

[1] औ चत्यपूर्ण लागत मई 2015 के वभागीय दर एवं इन पर 15 प्रतिशत **overhead** का प्रावधान करते हुए वभागीय दरो के वश्लेषण के उपरांत तैयार कया गया था।

662.34MT[2] के **steel truss bridge** के **supply/fabrication** तथा **erection** का कार्य कराया गया था। **steel truss bridge** के **supply/fabrication** तथा **erection** के अन्तरो की गणना के आधार पर 662.34 **MT erected steel truss bridge** के **supply/-fabrication** के सापेक्ष **613**.73 MT(1276.07**MT-**662.34 **MT) steel truss bridge** की अ धक **supply** प्राप्त की गयी थी जिसका **erection** नहीं कया जा सका था और इसकी लागत `87500.00 प्रति **MT** की दर से **`5,37,01,375.00 (`5.37** करोड़) आती है। पुनः अनुबंध के अनुसार यदि यह मान लया जाए क फ़र्म से **836.81 MT**[3] **steel truss bridge** की **supply/fabrication** वचनबद्ध अ धयाप्ति **(committed procurement)** थी तो भी 439.26 **MT,** जिसकी लागत **`3,84,35,250.00 (`3.84** करोड़) थी, का अ धक अ धयाप्ति की गयी थी। उपरोक्त तथ्य को नीचे सारणीबद्ध कया गया है।

Details of procurement of fabricated steel truss bridge and its erection				**Quantity of un-erected bridge**	**Cost of un-erected steel truss bridge @ `87500 per MT**
Procurement			**Quantity of erected steel truss bridge**		
Total receipt		**1276.07MT**	662.34MT	**613.73**	**5,37,01,375.00**
Committed procurement	**Under agreement**	**763.50 MT**			
	As an extra item	**73.31 MT**			
Total under committed procurement		**836.81 MT**			
Difference between receipt and		**439.26 MT**			**3,84,35,250.00**

उपरोक्त तथ्यो के आलोक में यह ज्ञातव्य है क 21 जुलाई 2015 के बैठक में यह निर्णय लया गया था क सभी तीन सेतुओ का निर्माण कया जाएगा और इसके लए अधीक्षण अ भयंता, हरिद्वार के द्वारा 65.09 प्रतिशत आ धक्य की स्वीकृति भी प्रदान (6 नवम्बर 2015) कर दी गयी थी परन्तु बाद में वभाग द्वारा मेला अ धस्थान के अ धकारिओ को उद्धृत करते हुए **200** मीटर स्पान के सेतु का **erection** नहीं कया गया था परन्तु **fabricated bridge** की अ धयाप्ति कर ली गयी थी। *लेखा परीक्षा के द्वारा इस संबंध में मेला धकारी के आदेश की प्रति उपलब्ध कराने के उत्तर में बताया गया क इसके संबंध में मेला धकारी का कोई आदेश नहीं है। मेला धकारी द्वारा अर्द्ध-कुंभ मेला 2016 के दौरान कार्य की अत्य धक व्यस्तता के कारण मौ खक निर्देश दिये गए। यह कार्य लोक निर्माण वभाग लए निक्षेप कार्य के रूप में था। अत: मेला धकारी के सभी ल खत एवं मौ खक आदेशो का पालन कया गया।* इस प्रकार, मायापुर स्केप चैनल एवं गंगा नदी दक्ष एवं बैरागी कैम्प को जोड़ने हेतु स्टील गर्डर पाईल सेतु के तीन सेतुओ में से दो सेतु जिनकी प्राक्क लत लंबाई 180 मीटर थी, **un-erected** रह गयी थी जिसके सामाग्री का प्रयोग नहीं हो सका था।

अ धक व्यय के बिन्दु पर खंड द्वारा बतलाया गया था क औ चत्यपूर्ण लागत 200 मीटर लंबाई के पाईल गर्डर सेतु एवं वश्व कल्याण आश्रम तथा जगजीतपुर में दो अर्द्ध-अस्थायी सेतुओ के लए थी जब क बाद में लए गए निर्णय के अनुसार अवशेष 90 + 90 मीटर लंबाई के दो सेतु का fabrication एवं supply कया गया था, परन्तु erection नहीं हुआ था जिस कारण अ धक व्यय करना पड़ा था जब क इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है क मेला अ धकारी, डीआईजी, हरिद्वार

[2] (589.03MT+ extra item के रूप में 73.31MT का उपयोग दक्ष द्वीप को सती द्वीप से जोड़ने वाले सेतु पर कया गया था।
[3] 763.50 MT as a committed procurement and 73.31 MT as an extra item

एवं वभागीय अ धकारी के साथ अस्थायी सेतुओ के संबंध दिनांक 30 मार्च 2015 को आहूत बैठक में निर्णय लया गया क अर्द्धकुम्भ मेला-2016 के अन्तर्गत यातायात प्रबन्धन की दृष्टि अति आवश्यक अस्थायी सेतुओ का ही निर्माण कराया जाए तथा शेष सेतुओ के निर्माण के संबंध में निर्णय परिस्थिति के अनुसार उ चत समय पर लए जाने के निर्देश दिये गए थे।

इस ओर इं गत कए जाने पर खंड द्वारा बतलाया गया क मेला धकारी के निर्देशानुसार अवशेष 180 मीटर लंबाई के पाईल गर्डर सेतु के निर्माण का निर्णय लया गया जिसकी Supply-Fabrication का कार्य संपादित कया गया जिसके कारण अ धक रा श (470.44 लाख) व्यय हुई थी। बाद में भीड़ के कम आने के कारण अनुमान के अनुसार मेला धकारी के द्वारा इस सेतु के erection की आवश्यकता नहीं समझी गयी। यह भी संज्ञान में लाना है क इन सेतुओ का निर्माण निकट भ वष्य में होनेवाले कुम्भ/अर्द्ध-कुम्भ मेला में कया जाएगा। यह सेतु-पार्ट्स कुम्भ-मेला की परिसम्प त्त है।

पुनः यह भी बतलाया गया क अर्द्ध-कुम्भ मेला में व भन्न प्रांतो से करोड़ो श्रद्धालु हरिद्वार आते है और व भन्न कारणो से इनकी संख्या में कई बार अत्य धक उतार-चढ़ाव आते है। पाईल गर्डर सेतु में प्रयुक्त होने वाले गर्डर भी हरिद्वार के आस-पास बाजारो में उपलब्ध नहीं है। इनको ऑर्डर देकर सीधे निर्माता/डीलर से मंगाया जाता है जिसमे समय लगता है। यह भी अवगत कराना है क भीड़ के अनुमान को देखते हुए 200 मीटर लंबाई के पाईल सेतु का **erection** अंतिम क्षणों में रोका गया था जिससे इस सेतु के **erection, approach** एवं **dismantaling** आदि में होने वाले व्यय की बचत हुई थी जंहा तक अत्य धक **fabrication** का प्रश्न है क यह **fabrication** आने वाले मेलो के लए परिसम्प त्त है।

खण्ड का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्यों क सेतु को **erect** नहीं कए जाने से संबन्धित मेला धकारी का कोई भी आदेश लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कार्य गया था। पुनः अनुबंध के अनुसार सेतु के **erection** का कार्य 24 फ़रवरी 2016 तक पूर्ण कया जाना था और इस लए मेला में आने वाले भीड़ का आकलन करना 24 फ़रवरी 2016 तक कठिन था क्यों क मेला की अंतिम ति थ 22 अप्रैल 2016 थी जब क कार्य 10 अगस्त 2016 को पूर्ण हुआ था। खण्ड का यह कहना क क्रय की गयी **steel truss bridge** का उपयोग आगामी कुम्भ/ अर्ध-कुम्भ मेला में कया जाएगा ले कन इसके उपयो गता संबंधी कोई भी **blueprint** लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया था। खंड का यह कहना क पाईल गर्डर सेतु में प्रयुक्त होने वाले गर्डर भी हरिद्वार के आस-पास बाजारो में उपलब्ध नहीं है और इनको ऑर्डर देकर सीधे निर्माता/डीलर से मंगाया जाता है जिसमे समय लगता है, के प्रत्याशा में आवश्यकता से अ धक अ धयाप्ति/क्रय कया जाना अ धयाप्ति नियमावली-2008 के नियम-13 के साथ-साथ वत्तीय हस्त पुस्तिका **(vol-VI)** के नियम-179 के प्रावधानों के प्रतिकूल है। अतः आवश्यकता से अ धक `**3.84** करोड़ के **steel truss bridge** के अ धयाप्ति के प्रकरण को संज्ञान में लाया जाता है।

प्रारूप -1 (अ)

सेतु के नाम	लम्बाई मीटर में	प्राक्कलन के अनुसार मात्रा MT में		अनुबन्ध के अनुसार मात्रा MT में		वास्त वक		उपयो गता से अ धक क्रय के कारण अंतर	
		Supply / Fabrication	**Erectio n**	**Supply / Fabricatio n**	**Erectio n**	**Supply /Fabricatio n**	**Erectio n**	**Supply / Fabrication**	**Erection**
मायापुर स्केप चैनल एवं गंगा नदी दक्ष एवं बैरागी कैम्प को जोड़ने हेतु स्टील गर्डर पाईल सेतु	90								
	90								
	220								
Sub-total Mayapur Escape Channell	**400**	**1100**	**812**	**532**	**399.6**	**1051.23**	**364.19**	519.23	-35.41
मायापुर स्केप चैनल के ऊपर वश्व कल्याण आश्रम के सामने अर्द्ध-अस्थायी स्टील गर्डर **1.5** लेन सेतु	66.2	139	139	127	127.4	124.15	124.15	-2.85	-3.25
जगजीतपुर में मायापुर स्केप चैनल के ऊपर अर्द्ध-अस्थायी स्टील गर्डर **1.5** लेन सेतु	53	110.8	110.8	104.1	104.1	100.69	100.69	-3.41	-3.41
अनुबं धत कार्यो का योग	**519.2**	**1349.8**	**1061.8**	**763.1**	**631.1**	**1276.07**	**589.03**	512.97	-42.07
extra item के रूप में दक्ष द्वीप को सतीद्वीप से जोड़ने वाले सेतु का निर्माण							73.31	0	73.31
Grand Total	**519.2**	**1349.8**	**1061.8**	**763.1**	**631.1**	**1276.07**	**662.34**	512.97	31.24

प्रारूप -1 (ब)

सेतु के नाम	लम्बाई मीटर में			प्राक्कलन के अनुसार मात्रा MT में		अनुबन्ध के अनुसार मात्रा MT में		वास्त वक		उपयो गता से अ धक क्रय के कारण अंतर	
				Supp/Fab	**Erec**	**Supp/Fab**	**Erec**	**Supp/Fab**	**Erec**	**Supp/Fab**	**Erec**
मायापुर स्केप चैनल एवं गंगा नदी दक्ष एवं बैरागी कैम्प को जोड़ने हेतु स्टील गर्डर पाईल सेतु	90	**In Pile**	**Pile**			143.91					
		In S S		287.82				113.78	113.78		
	90	**In Pile**									
		In S S	**SS**		812.18		388.09	937.45	364.19		
	220	**In Pile**									
		In S S		812.18		388.09					
				1100	812.18						

Note:- Supp/Fab:- **Supply /Fabrication, SS- Super Structure and Erec:- Erection**

STAN

प्रस्तर 1- अमानक एवं अनियमित कार्य सम्पादन किया जाना

अर्धकुम्भ मेला-2016 के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार में हिल बाय पास मार्ग पर क्षतिग्रस्त दीवारों के निर्माण एवं बी सी द्वारा नवीनीकरण कए जाने हेतु उत्तराखंड शासन द्वारा पत्रांक संख्या 442/V-3/2015-04(05)/2015 दिनांक 3 जुलाई 2015 द्वारा रुपए 153.65 लाख की प्रशासनिक एवं वत्तीय स्वीकृति प्रदान की गई थी उक्त कार्य हेतु अधीक्षण अ भयन्ता स वल वृत,लोक निर्माण वभाग, हरिद्वार द्वारा अपने पत्रांक 2028/4सी- सवृ/15 दिनांक 14/07/2015 द्वारा रुपए 153.65 लाख की तकनीकी स्वीकृति वशेष प्रतिबंधों के साथ प्रदान की गई थी जिनमे अन्य प्रतिबंध के साथ कार्य की गुणवत्ता व समय बद्धता पर वशेष ध्यान देने का प्रावधान कया गया था। पुनः जिला धकारी/मेला धकारी के पत्रांक 169/अ0कु0मे0/2014/हिल बाई पास दिनांक 03 नवम्बर 2014 जिसमे यह उल्लेख कया गया था क दिनांक 26.09.2014 को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में यह निर्णय लया गया था क प्रश्नगत मार्ग के सुधारिकरण, वस्तार,एवं क्षतिग्रस्त भाग के निर्माण कार्य से पूर्व मनसा देवी पहाड़ी पर होने वाली भू-स्खलन की रोकथाम हेतु पूर्ण सर्वेक्षण कराकर डीपीआर /प्रस्ताव **के** अनुसार ही कार्य संपादित काराया जाना था

खण्ड की अभिलेखो की जांच के दौरान पाया गया की खण्ड द्वारा मनसा देवी पहाड़ी पर होने वाली भू-स्खलन की रोकथाम हेतु प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार कार्य न कर मात्र कुछ स्थानो पर ही सुधारतात्मक कार्य ही समपदित कराये गए थे

इस और लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर खण्ड द्वारा अवगत कराया गया कि ।।T कि सर्वे प्रतिवेदन पर रुपए 4 करोड़ की लागत का आगणन मेला अधिकारी को प्रेषित किया गया था किन्तु मात्र 153.63 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने कारण अपरिहार्य स्थानो पर दीवारों का निर्माण एवं बीसी द्वारा नवीनीकरण का कार्य संपदित कराया गया था धन के अभाव के कारण मार्ग के भूस्खलन वाले भाग के रोकथाम इत्यादि के कार्य नहीं कराये गए जा सके। 4 करोड़ की लागत के आगणन की प्रति लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गयी थी।

खण्ड के उत्तर से स्पष्ट है कि खण्ड द्वारा दिनांक 26.09.2014 को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में मनसा देवी पहाड़ी पर होने वाले भू-स्खलन की रोकथाम के उपाय

किए बिना ही **प्रश्नगत मार्ग** का निर्माण कार्य संपादित कराया गया। साथ ही मार्ग का निर्माण मानको के अनुरूप भी नहीं किया गया था जैसा कि मुख्य अभियंता स्तर-1 के दिनांक 27 जून 2016 के प्रतिवेदन से अवगत होता है।
अत: अनियमित एवं मानको के विपरीत कार्य सम्पादन का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है**।**

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

क्रम संख्या	लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन सं0/वर्ष	अनिस्तारित प्रस्तर	
		भाग–दो 'अ'	भाग–दो 'ब'
1	19/2003-04	-	2
2	47/2004-05	3	-
3	71/20005-06	1	3
4	21/2008-09	2	-
5	44/2009-10	2	2
6	43/2011-12	2	2
7	91/2012-13	6	3
8	64/2013-14	2	2
9	87/2015-16	1	1
10	67/2016-17	-	1,2

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति

प्रस्तरों को अद्यतन कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को प्रेषित किये जा रहे है।

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, प्रांतीय खण्ड लोक निर्माण विभाग हरिद्वार,** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**
   (i) शून्य
2. **सतत् अनियमितताएः**
   (i) शून्य
3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम	
1.	श्री कान्त शर्मा	अधिशासी अभियन्ता	9/6 से 20/1/6
2.	ओ.पी. सिंह	अधिशासी अभियन्ता	20/1/6 से 9/2/6
3.	श्रीकांत शर्मा	अधिशासी अभियन्ता	9/2/6 से 21/2/6
4.	यू एस रावत	अधिशासी अभियन्ता	21/2/6 से 12/6/17
5.	ओ.पी. सिंह	अधिशासी अभियन्ता	12/6/17 से 24/7/17
6.	एस के गर्ग	अधिशासी अभियन्ता	24/7/17 से वर्तमान लेखा परीक्षा तक

4. विगत संप्रेक्षा से अब तक निम्नलिखित खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से संबंद्ध रहे।
   1. श्री अतर सिंह चौहान विगत लेखा परीक्षा से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, प्रांतीय खण्ड लोक निर्माण विभाग हरिद्वार,** को इस आशय से प्रेषित है कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार आर्थिक क्षेत्र-2 कार्यालय महालेखाकार(लेखापरीक्षा) उत्तराखंड,कार्यालय सह आवासीय परिसर, पोस्ट ऑफिस-कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित कर दी जांय।

लेखापरीक्षा अधिकारी
आर्थिक क्षेत्र-2